

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06072026-274197
SG-DL-E-06072026-274197असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 94
No. 173]	DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948	[N. C. T. D. No. 94

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

फा. सं. 61(2037)/CP&Members/DD(CCPU)/DWCD/2023/भाग फाइल 5013-48.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 17 एवं 18, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2008 के नियम 2(घ) तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना फा.सं. U-11030/1/2007/LUTI दिनांक 15 जनवरी, 2008 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) में निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्यों की सहर्ष नियुक्ति करती है। प्रत्येक सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु तथा सदस्यों, डी.सी.पी.सी.आर. के मामले में साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा/करेगी।

क्र.सं.	नाम	पंजीकरण आई.डी.	पद
1.	श्री ओम प्रकाश व्यास	5253451979	अध्यक्ष
2.	श्री राहुल गौतम	63313991997	सदस्य

3.	श्री कुंदन कंसकार	11496542005	सदस्य
4.	श्रीमती स्वाति गुप्ता	66031987	सदस्य
5.	श्रीमती मोनिका शर्मा	2470101992	सदस्य

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के आदेश से एवं उनके नाम से,
डॉ. रश्मि सिंह, भा.प्र.से. सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th July, 2026

F. No. 61(2037)/CP&Members/DD(CPDU)/DWCD/2026/Part File 5013-48.— In exercise of the powers conferred under Section 17 and 18 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) read with Rule 2 (d) of Delhi Commission for Protection of Child Rights Rules, 2008 and Notification F.No.U-11030/1/2007/LUTI dated the 15th January, 2008 issued by the Ministry of Home Affairs, of Govt. of India, the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Chairperson and Members in Delhi Commission, for Protection of Child Rights (DCPCR). Every Member shall hold office for a term of three years from the date on which he/she assumes office or when he/she attains the age of sixty-five years in case of Chairperson and sixty years in case of Members, DCPCR, whichever is earlier.

S.No.	Name	Registration ID	Post
1.	Sh. Om Prakash Vyas	5253451979	Chairperson
2.	Sh. Rahul Gautam	63313991997	Member
3.	Sh. Kundan Kanskar	11496542005	Member
4.	Smt. Swati Gupta	66031987	Member
5.	Smt. Monika Sharma	2470101992	Member

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, IAS Secy.